उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-3
संख्या- 01 /2021/ 419 /46-3-21-1607/2004
लखनऊ दिनांक : 24 मार्च, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) की धारा 28 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (तीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (तीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 15 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

नियम 49 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 में,नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम 49 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
49- किसी फैक्टरी का अध्यासी, खरीदे गये गन्ने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य, जिसे संप्रति उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) के रूप में जाना जाता है, के तीन प्रतिशत की दर से अंशदान देगा, जिसमें से पचहत्तर प्रतिशत गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को और पच्चीस प्रतिशत परिषद को संदेय होगा: परन्तु पेराई सीजन 2019-20 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर संदेय अंशदान का भुगतान उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) के तीन प्रतिशत के स्थान पर पॉच रूपये पचास पैसे प्रति कुन्तल की दर से किया जायेगा।	49- किसी फैक्टरी का अध्यासी, खरीदे गये गन्ने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य, जिसे संप्रति उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) के रूप में जाना जाता है, के तीन प्रतिशत की दर से अंशदान देगा, जिसमें से पचहत्तर प्रतिशत गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को और पच्चीस प्रतिशत परिषद को संदेय होगा: परन्तु पेराई सीजन 2020-21 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर संदेय कमीशन का भुगतान उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) के तीन प्रतिशत के स्थान पर पॉच रूपये पचास पैसे प्रति कुन्तल की दर से किया जायेगा।

आज्ञा से,

संजय आर भूसरेडडी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-01 /2021/ 419 (1)/46-3-21-1607/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी तथा अंग्रेजी की प्रति हस्ताक्षरित एक-एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचनाओं को दिनांक 24 मार्च, 2021 के असाधारण गजट अंक विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में उसकी 1000 प्रतियाँ (प्रत्येक की) प्रकाशित कराकर शासन के चीनी उद्योग अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सचिवालय, द्वितीय तल, बापू भवन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1/2 तथा लेखा परीक्षा-1/2 उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- गन्ना/चीनी आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0/ उन जनपदों को जहाँ चीनी मिलें स्थित हैं।

आज्ञा से,

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Cheeni Udyog Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.01/ 2021/419 /46-3-2021-1607/2004 dated March 24 , 2021

Notification

no.01 /2021/ 419 /46-3-2021-1607/2004,
Lucknow Dated March 24, 2021

In exercise of the powers under section 28 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no.XXIV of 1953) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954:-

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (THIRTIETH AMENDMENT) RULES, 2021.

Short title and commencement

1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Thirtieth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from 15th February, 2021

Amendment of rule-49

2- In the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954 for rule 49 set out in column-I below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely:-

Column- I **Existing rule**	**Column- II** **Rule as hereby subsituted**
49. The Occupier of a factory shall pay contribution on cane purchase at the rate of three percent of minimum statutory cane price, presently known as Fair and Remunerative Price (FRP) fixed by the Government of India, out of which seventy five percent shall be payable to the cane grower's co-operative society and twenty five percent to the council:	49. The Occupier of a factory shall pay contribution on cane purchase at the rate of three percent of minimum statutory cane price, presently known as Fair and Remunerative Price (FRP) fixed by the Government of India, out of which seventy five percent shall be payable to the cane grower's co-operative society and twenty five percent to the council :
Provided that the contribution payable on cane purchased during crushing season 2019-20 shall be paid at the rate of five rupees and fifty paisa per quintal instead of three percent of Fair and Remunerative Price (FRP).	Provided that the commission payable on cane purchased during crushing season 2020-21 shall be paid at the rate of five rupees and fifty paisa per quintal instead of three percent of Fair and Remunerative Price (FRP).

By Order,

(**Sanjay R. Bhoosreddy**)
Additional chief Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in